

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग


क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2018

जयपुर, दिनांक : 04.10.2018

आदेश


डा. पवन कुमार शर्मा, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पचेवर, टोंक का बकाया वेतन टोंक जिले में रिक्त पद से एवं आगामी वेतन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पचेवर, टोंक से आहरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(पारस चन्द जैन)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 2- निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर।
- 3- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
- 4- डा. पवन कुमार शर्मा, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पचेवर, टोंक
- 5- रक्षित पत्रावली

  
(ओ. पी. वर्मा)  
शासन सहायक सचिव